

कार्यालय जिला परिषद, मधेपुरा।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषद के निम्नांकित सैरातों की बन्दोवस्ती वर्ष 2017-18 के लिए दिनांक 21.01.2017 (शनीवार), 31.01.2017 (मंगलवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न में कार्यालय जिला परिषद, मधेपुरा में होगी। उक्त तिथि को बन्दोवस्त नहीं होने पर पूनः दिनांक 18.02.2017 (शनीवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न में कार्यालय जिला परिषद, मधेपुरा में बन्दोवस्त की जायेगी। डाक में भाग लेने के लिए डाक वक्ता डाक शुरू होने से 1 घंटा पूर्व ही सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत नगद अथवा डी.डी. जमा करना अनिवार्य होगा। डाक वक्ता को सर्वोच्च डाक की राशि डाक सम्पन्न होने के साथ ही निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क के साथ एक मुस्त राशि जमा करना होगा एवं गैर अदालतीय स्टाम्प पेपर पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा विहित शर्तों के अधीन एकरारनामा तामिल कराना होगा।

बन्दोवस्त की राशि का बैंकर्स/डी.डी. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मधेपुरा के पदनाम से जमा करना होगा

क्र०	सैरात का नाम	कुल दुकान की सं०	सुरक्षित जमा राशि
01	बस पड़ाव, सिंहेश्वर		
02	बस पड़ाव, मधेपुरा		1266150.00
03	बस पड़ाव, आलमनगर		1438650.00
04	निरीक्षण भवन सिंहेश्वर अवस्थित जलकर, फलकर भवन सहित		662431.00
05	निरीक्षण भवन मुरलीगंज भवन परिसर सहित		115000.00
06	बस पड़ाव, मधेपुरा अवस्थित शौचालय		31165.00
07	कुमारखंड अवस्थित शौचालय		50600.00
08	निरीक्षण भवन मधेपुरा का फलकर सहित जमीन		9200.00
09	निरीक्षण भवन उदाकिशुनगंज भवन, फलकर भूमि सहित		20499.00
10	निरीक्षण भवन आलमनगर भवन, फलकर भूमि सहित		75000.00
	स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना अन्तर्गत दुकान		26000.00
11	सिंहेश्वर निरीक्षण भवन के उत्तर की दुकान		
12	मधेपुरा प्रेस परिसर अवस्थित दुकान	6	125000.00
13	प्रखंड कार्यालय के दक्षिण की दुकान (कुशा 1-95)	9	150000.00
14	कलासन बाजार, चौसा में निर्मित दुकान	10	50000.00
15	भर्राही बाजार, मधेपुरा में निर्मित दुकान	10	50000.00
16	पुरैनी बाजार के पुरानी गूदरी में निर्मित दुकान	18	50000.00
17	उदाकिशुनगंज प्रखंड कार्यालय के पश्चिम निर्मित दुकान	7	50000.00
18	बस पड़ाव, मधेपुरा के पुरब निर्मित मार्केट की दुकान	7	50000.00
19	गुड्डुके व्यक्तियों से अधुरोध है कि वे निश्चित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर डाक में भाग ले सकते हैं। सर्वोच्च डाक वक्ता यदि डाक की राशि तत्काल जमा नहीं करेंगे तो जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं अगले डाक में वे भाग नहीं ले सकते हैं।	9	162000.00

गुड्डुके व्यक्तियों से अधुरोध है कि वे निश्चित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर डाक में भाग ले सकते हैं। सर्वोच्च डाक वक्ता यदि डाक की राशि तत्काल जमा नहीं करेंगे तो जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं अगले डाक में वे भाग नहीं ले सकते हैं।

किसी भी सैरात की निलामी को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, मधेपुरा।
10-1-17

ज्ञापांक... 25 जि० प० मधेपुरा दिनांक... 18.1.17

प्रतिलिपि :- गत तीन वर्ष के बीडरों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा/उदाकिशुनगंज, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद एवं सभी विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सूचना पट्ट पर प्रकाशन हेतु चिपका दिया जाय।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को N.I.C. के वैबसाई पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/आरक्षी अधीक्षक, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिला परिषद, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, मधेपुरा।
10-1-17